

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 जून 2020 — ज्येष्ठ 20, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/2017/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची—चार में, सरल क्रमांक 1 में, कॉलम 3 में, शब्द “राजस्व अधिकारी” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “/विधि अधिकारी” जोड़ा जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 10 जून 2020

क्रमांक एफ 4-14/2017/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2020/18 दिनांक 10-06-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 10th June 2020

NOTIFICATION

No. F 4-14/2017/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2018, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-IV, in serial number 1, in column (3), after the words “Revenue Officer”, the symbol and words “/Law Officer” shall be added.

By order & in the Name of Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.